WR

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/एल.आर.ए./2636/2006/बून्दी भैरुलाल बनाम गणेशलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री महावीर सिंह, सदस्य

03/12/15

उपस्थिति–
श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री जगदम्बा प्रसाद माथुर,अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

हस्तगत निगरानी अंतर्गत धारा 84, सपठित धारा 9, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम, 1956) के तहत विद्वान जिला कलक्टर, बूँदी द्वारा दिनांक 12-4-2006 को प्रकरण संख्या 59/2005 उन्वानी गणेश लाल माली बनाम भैरुलाल में पारित निर्णय के विरोध में पेश की है।

प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी-गैर निगराकार द्वारा आराजी खसरा नम्बर 695/1 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा वाके देवपुरा के सम्बन्ध में स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 331 दिनांक 15-02-85 के विरोध में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुये दिनांक 10-10-2005 को अपील जिला कलक्टर, बूँदी के न्यायालय में प्रस्तुत की । जिला कलक्टर, बूँदी ने आक्षेपित आदेश दिनांक 12-4-2006 से मियाद के बिन्दु को तय किया और प्रकरण को गुणावगुण पर तय करना उचित मानते हुये अपील के साथ प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया और प्रकरण को वास्ते बहस अंतिम व बहस प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम, 27 सिविल प्रकिया संहिता हेतु आगामी पेशी नियत की। हस्तगत निगरानी इसी आदेश के विरोध में मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3/12/15

विद्वान अभिभाषकगण उभय पक्ष की बहस निगरानी पर सुनी गई।

अप्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत की कि अधीनस्थ न्यायालय के अंतरिम आदेश के विरोध में यह निगरानी प्रस्तुत की है, जब कि अंतरिम आदेश के विरोध में निगरानी पोषणीय नहीं है, अतः निगरानी को पोषणीय नहीं होने के बिन्दु पर ही खारिज किया जाये।

COMPARED BY

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/एल.आर.ए./2636/2006/बून्दी भैरुलाल बनाम गणेशलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता का कथन है कि न्यायालय द्वारा पूर्व में निगरानी को दिनांक 26-04-2006 को ग्राह्य किया जा चुका है और एक बार ग्राह्यता के बिन्दु को तय किये जाने के उपरान्त ग्राह्यता के आधार पर निगरानी को निरस्त नहीं किया जा सकता है और इसे गुणावगुण पर तय किया जाना चाहिए। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने इस बिन्दु पर न्याय दृष्टान्त आर.आर.डी. 1993 पेज 814, आर.आर.डी. 1990 पेज 395 प्रस्तुत किये।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में आगे कथन किया कि प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में गैर निगराकार संख्या-1 द्वारा इकरारनामा दिनांक 22-4-1978 को निगराकार संख्या-2 नन्दा के पक्ष में तस्दीक कराया और इसके आधार पर नन्दा आराजी का खातेदार काश्तकार हो गया था। नन्दा द्वारा निगराकार संख्या-1 जो उसका पुत्र है के पक्ष में रजि0 बख्शीशनामा दिनांक 17-9-84 को उक्त आराजी के सम्बन्ध में सम्पादित किया है। प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 331 इसी बख्शीशनामा के आधार पर तस्दीक किया गया है। अपीलार्थी-गैर निगराकार संख्या-1 के द्वारा करीब 21 साल की लम्बी अवधि के उपरान्त जिला कलक्टर के समक्ष गलत प्रकार से अपील प्रस्तुत की और धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में देरी के कारण भी संतोषजनक व औचित्य पूर्ण अंकित नहीं किये गये थे और यह स्वीकार्य योग्य तथ्य नहीं रहा है कि उन्हें उक्त म्यूटेशन का ज्ञान दिनांक 27-9-2005 को हुआ हो। अतः अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का आदेश विधिसम्मत नहीं है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में ये भी कथन किया कि नामांतरकरण की कार्यवाही वित्तीय कार्यवाही मात्र है और इसके आधार पर किसी प्रकार के स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं जैसा कि आर.आर.टी. 2003 (1) पेज 651 में मत प्रतिपादित किया गया है, अतः इन्हें सक्षम न्यायालय में स्वत्व स्थापित करने की कार्यवाही करनी चाहिए थी। अन्त में योग्य अभिभाषक ने निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित निर्णय को निरस्त करने व धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रथमतः अंतरिम आदेश के खिलाफ होने से यह निगरानी ग्राह्यता के बिन्दु पर ही खारिज

COMPARED BY

03/14/15

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/एल.आर.ए./2636/2006/बून्दी भैरुलाल बनाम गणेशलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

योग्य है। बहस में आगे योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 5 के खण्डन में कोई शपथपत्र या साक्ष्य रैस्पो0 द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है, अतः अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायोचित व अहस्तक्षेप योग्य है। निगरानी में केवल अधिकारिता की त्रुटि से ग्रसित मामला होने पर ही हस्तक्षेप किया जाना चाहिए, अपील पेश करने में हुई देरी को यदि न्यायालय द्वारा उपशमन किया है तो ऐसे आदेशों में हस्तक्षेप उचित नहीं है। प्रश्नगत आराजी अपीलाण्ट-गैर निगराकार व रैस्पो0 संख्या-2/निगराकार संख्या 2 की संयुक्त खाते व कब्जे की भूमि रही है और नन्दा द्वारा अपने पुत्र के पक्ष में बख्शीशनामा गलत प्रकार से सम्पादित किया है जो कि अपील के माध्यम से परीक्षण योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में गुणावगुण पर परीक्षण के उद्देश्य से अपील पेश करने में हुई देरी का उपशमन करने में किसी प्रकार की तात्विम या क्षेत्राधिकार सम्बन्धी भूल नहीं की है। निगरानीधीन आदेश न्यायोचित होने से व निगरानी का क्षेत्र सीमित होने से निगरानी खारिज की जाये। अपने पक्ष में योग्य अधिवक्ता ने न्याय दृष्टान्त आर.आर.टी. 2006 (2) पेज 1112 प्रस्तुत किया।

हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा सम्बन्धित विधि के प्रावधानों का ध्यानपूर्वक व गहनता से अध्ययन, विवेचन-विश्लेषण किया।

हस्तगत प्रकरण में अंतरिम आदेश के बिन्दु पर प्राथमिक आपत्ति के सम्बन्ध में विचार करने पर पाया जाता है कि न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 26-4-2006 को निगरानी को सारभूत कानूनी बिन्दु निहित होना मानते हुये वास्ते विचारार्थ ग्रहण किया गया है। न्याय दृष्टान्त आर.आर.डी. 1993 पेज 814 में माननीय राजस्व मण्डल की एकल पीठ ने प्रकरण उन्वानी शंकरलाल व अन्य बनाम उम्मेद सिंह व अन्य तथा आर.आर.डी. 1990 पेज 395 में माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ ने प्रकरण उन्वानी स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम निरंजनदास में इस बिन्दु पर स्पष्टतया मत प्रतिपादित किया है कि जहॉ न्यायालय द्वारा पूर्व में निगरानी के ग्राह्यता के सम्बन्ध में अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये निगरानी को ग्राह्य कर लिया है तो वहॉ निगरानी के ग्राह्यता के सम्बन्ध में आपत्ति संधारण योग्य नहीं रहती है। आर. आर.डी. 1990 पेज 395 में माननीय राजस्व मण्डल

COMPARED BY

03/14/15

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/एल.आर.ए./2636/2006/बून्दी भैरुलाल बनाम गणेशलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

की खण्डपीठ द्वारा प्रकरण उन्वानी स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम निरंजनदास में दी गई व्यवस्था इस प्रकार से है:-

> Raj. Land Revenue Act, Section 84 - Power to entertain a revision vests in the court and once the court has exercised this power by admitting a revision apllication, such decision cannot be challenged on ground that revision was against an interlocutory order.

अतः उपरोक्त न्याय दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में हम इस मत के हैं कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 26-4-2006 को निगरानी को सारभूत कानूनी बिन्दु निहित होना मानते हुये वास्ते विचारार्थ ग्रहण किया गया है और प्रकरण में विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये हैं तो अब इस बिन्दु पर यह आपत्ति संधारण योग्य नहीं रहती है, अतः प्राथमिक आपत्ति को खारिज किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा हस्तगत निगरानी भू राजस्व अधिनियम की धारा 84 सपठित धारा 9 के तहत मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है, अतः धारा 84 एवं धारा 9 भू राजस्व अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों पर प्रकाश डालना आवश्यक है, जो कि इस प्रकार हैं :-

> Section 84. Power of Board to call for records and revise orders- The Board may call for the record of any case of a judicial nature or connected with settlement in which no appeal lies to the Board if the court or officer by whom the case was decided appears to have exercised a jurisdiction not vested in it or him by law, or to have failed to exercise a jurisdiction so vested, or to have acted in the exercise of its or his jurisdiction illegally or with material irregularity, and may pass such orders in the case as it thinks fit.

COMPARED BY

उपरोक्तानुसार धारा 84, भू राजस्व अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि जहाँ अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा क्षेत्राधिकार विहीन आदेश पारित किया हो या अपने क्षेत्राधिकार का सदुपयोग नहीं किया हो या तथ्यात्मक या वैधानिक रुप से कोई त्रुटि की गई हो, उसी स्थिति में अधिनियम की धारा 84 के तहत निगरानी के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सकता है।

03/12/15

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/एल.आर.ए./2636/2006/बून्दी भैरुलाल बनाम गणेशलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

धारा-9, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान है कि राजस्व मण्डल को अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों अथवा अधिकारियों के निरीक्षण एवं सामान्य पर्यवेक्षण की शक्तियों प्राप्त हैं, जैसा कि धारा 9 में निम्न प्रकार से प्रावधित है :-

> **Sec.9 General Superintendence of Subordinate Revenue Courts-** Subject to other provisions of this Act, the general superintendence and control over all revenue courts and over all revenue officers shall be vested in, and all such courts and officers shall be subordinate to the Board.

हस्तगत प्रकरण के परीक्षण में पाया जाता है कि नामांतरकरण संख्या 331 दिनांक 15-02-1985 के विरोध में जिला कलक्टर, बूंदी के न्यायालय में दिनांक 10-10-2005 को अपील प्रस्तुत की गई है जिसके साथ में अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा करने हेतु मियाद अधिनियम की धारा-5 का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें अंकित किया है कि " दिनांक 27-9-2005 को प्रथम बार पटवारी हल्का से जानकारी करने पर उक्त नामांतरकरण के बाबत् अपीलाण्ट को ज्ञान हुआ, इससे पूर्व अपीलाण्ट को इसकी जानकारी नहीं थी "। उक्त धारा 5 के प्रार्थना पत्र के जबाब में रैस्पो0 द्वारा अंकित किया है कि "उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में प्रति वर्ष लगान जमा होता रहा है, विपक्षीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में स्वतंत्र रुप से भूमि विकास बैंक से कुए हेतु लोन लिया है एवं कुँआ खुदवाया है जो विपक्षी के पक्ष में हुये नामांतरकरण के बाद किया है, विपक्षी द्वारा नामांतरकरण के बाद आवासीय मकान बनाया है और कृषि कार्य हेतु बिजली कनैक्शन लिया है, ये सभी तथ्य प्रार्थी की जानकारी में हैं, अतः धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अंकित जानकारी की तिथि दिनांक 27-9-2005 सही नहीं है।"

COMPARED BY

स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में नामांतरकरण के करीब 21 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की है और धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में जानकारी की तिथि के समर्थन में जो कारण अंकित किये हैं वे संतोष प्रद व स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होते हैं क्योंकि रैस्पो0 द्वारा जो तथ्य जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित किये हैं उन्हें देखते हुये यह मानने योग्य नहीं है कि प्रार्थी को 21 साल की लम्बी

03/11/15

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/एल.आर.ए./2636/2006/बून्दी भैरुलाल बनाम गणेशलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अवधि तक नामांतरकरण संख्या 331 दिनांक 15-02-1985 का ज्ञान नहीं रहा हो । मियाद के बिन्दु को क्षमा करने हेतु यह आवश्यक है कि धारा 5 के प्रार्थना पत्र में जो देरी के कारण अंकित किये हों वे संतोषप्रद व स्वीकार योग्य हों, असंतोषप्रद व अपुष्ट कारणों के आधार पर असाधारण देरी से प्रस्तुत की गई अपील को मियाद शुमार किया जाना कानूनन उचित नहीं है। इस बिन्दु पर निम्न न्यायिक उद्धरण इस मत की पुष्टि करते हैं :-

2007 डी.एन.जे. (एस.सी) पेज 367 . उन्वानी डा0 गोपीनाथ पिल्लई बनाम स्टेट आफ केरला व अन्य

Limitation Act, 1963- Section 5- Arbitration Act 1940- Section 30- Petition for setting aside award- Delay of 3320 days condoned- no satisfactory reasons for condoning in ordinate delay given- Delay can not be condoned merely on sympathy.

इस न्यायिक दृष्टान्त के पैरा 5 में यह उल्लेख किया गया कि "It is well considered principle of law that delay can not be condoned without assigning reasonable, satisfactory, sufficient and proper reasons."

2009 डी.एन.जे. (एस.सी) पेज 846 - उन्वानी कमिश्नर नगर परिषद भीलवाडा बनाम लेबर कोर्ट, भीलवाडा व अन्य -

Limitation Act, 1963- Section 5- Condonation of delay- Delay of 178 days in filling appeal explained properly- merits of the case also considered- High Court ought not to have gone into the merits of the case and required to seen only whether sufficient cause has shown for condonation of delay.- Held, orders set aside and appeal is restored for decision on merits.

COMPARED BY

2009 (1) आर.आर.टी. पृष्ठ 488 - स्टेट आफ राजस्थान बनाम दाखाबाई जरिये कायम मुकामान -

Limitation Act, 1963- Section 5- Rajasthan Tenancy Act, 1955- Secs. 88, 89 and 224- Condonation of delay- Delay of 3 years in filing appeal-Khatedar rights given to respondent 'D' on account of possession since 40-50 years and also on the basis of Will - No sufficient cause explained for

03/14/15

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/एल.आर.ए./2636/2006/बून्दी भैरुलाल बनाम गणेशलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

condonation of delay- Held, Appeal is hopelessly time barred & deserves to be dismissed.

हस्तगत प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में पाया जाता है कि प्रकरण में नामांतरकरण को चुनौती दी गई है जब कि नामांतरकरण की कार्यवाही एक वित्तीय कार्यवाही मात्र है और इसके आधार पर किसी पक्ष को किसी प्रकार के स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं, सम्पत्ति में ना ही उत्तराधिकार का कठिन विवाद्यक वसीयत या गोद द्वारा नामन्तरकरण कार्यवाही में विनिश्चय किया जा सकता है। आर.आर.टी. 2003 (1) पेज 651 में में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण उन्वानी जेठू सिंह बनाम भॅवरसिंह व अन्य में इसी प्रकार का मत प्रतिपादित किया है। प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में नियमित वाद विचाराधीन है जिसमें कि उभय पक्ष की साक्ष्य व शहादत के आधार पर स्वामित्व के सम्बन्ध में निर्णय होना है जिसमें यह बिन्दु भी तय हो सकेगे कि आया है प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में नन्दा द्वारा अपने पुत्र के पक्ष में बख्शीशनामा सम्पादित किया है उसका क्या प्रभाव रहेगा। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष नामांतरकरण को चुनौती अपील के माध्यम से दी गई थी जो कि वित्तीय कार्यवाही से संबंध रखती है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के कारण स्पष्ट, संतोषजनक, औचित्य पूर्ण व पुष्ट नहीं होते हुये असाधारण देरी को क्षमा किया है, जिससे हम सहमत नहीं हैं। फलतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तात्विक रुप से अनियमित व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से निगरानी स्वीकार योग्य पाई जाती है।

अतः निगरानी सारवान पाई जाने से स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला कलक्टर, बूँदी द्वारा दिनांक 12-4-2006 को प्रकरण संख्या 59/2005 उन्वानी गणेश लाल माली में पारित निर्णय निरस्त किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COMPARED BY

(महावीर सिंह) 03/11/15
सदस्य